



जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनॉक 30-08-2020

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा अंतर्राज्जीय ऑनलाइन ठगी करने वाली गैंग का पर्दाफाश, 02 अभियुक्त 2,66,800 रुपये नकद के साथ गिरफ्तार

दिनांक 12.08.2021 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत एच0डी0एफ0सी0 बैंक शाखा खलीलाबाद के शाखा प्रबन्धक मो0 खालिद द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद को सूचना दी गयी कि जिरये फ्रांड कालिंग के माध्यम से उनके बैंक से 980080 रु0 की धोखाघड़ी उगों द्वारा कर ली गयी है, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0 582 / 21 धारा 419/420 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डॉ० कौस्तुभ के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री अंशुमान मिश्रा के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद श्री अनिल कुमार, प्रभारी निरीक्षक सर्विलांस श्री रिवन्द्र कुमार गौतम, प्रभारी निरीक्षक एसओजी श्री श्रीप्रकाश यादव, प्रभारी स्वाट उ०नि० श्री धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उक्त घटना के सफल अनावरण हेतृ टीम का गठन किया था।

आज दिनांक 30.08.2021 को मुखबिर खास की सूचना पर गठित टीम द्वारा मोती तिराहे के पास से रेलवे स्टेशन की तरफ जाते समय घटना में संलिप्त 02 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया पूछताछ करने के दौरान प्रथम व्यक्ति ने अपना नाम अजय भारती पुत्र वीरेन्द्र प्रसाद निवासी राजापुर थाना कटया जिला गोपालगंज बिहार तथा दूसरे ने अपना नाम अनुज कुमार शर्मा पुत्र प्रदीप शर्मा निवासी टोला सिपाया थाना बिसंभरपुर जिला गोपालगंज बिहार बताया। हिरासत में लिये गये संदिग्धों में अनुज शर्मा के पास 1,31,000 रुपये नकद(एचडीएफसी बैंक फ्रॉड से संबन्धित), 03 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद दूसरे का आधार कार्ड व 01अदद एटीएम कार्ड व अजय भारती के पास से 1,35,800 नकद (एचडीएफसी बैंक फ्रॉड से संबन्धित), 02 अदद मोबाइल व 03 अदद एटीएम कार्ड, 01 अदद पैन कार्ड, 02 अदद आधार कार्ड, 01 अदद बैंक जमा पर्ची बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

- 1- अनुज कुमार शर्मा पुत्र प्रदीप शर्मा निवासी टोला सिपाया थाना बिसंभरपुर जिला गोपालगंज बिहार ।
- 2- अजय भारती पुत्र वीरेन्द्र प्रसाद निवासी राजापुर थाना कटया जिला गोपालगंज बिहार।







बरामदगीः-

अभियुक्त अनुज शर्मा के पास से बरामद -

- 1- 131000 रुपये (2000 रुपये की 65 नोट तथा 500 रुपये के 02 नोट) एचडीएफसी खलीलाबाद से की गयी ठगी से संबन्धित धन जिसको विभिन्न एटीएम व पेट्रोल पंपों से निकाला गया था।
- 2- 03 अदद मोबाइल फोन।
- 3- 01 अदद आधार कार्ड (मो0 परवेज आलम पुत्र आलम अंसारी निवासी मुन्नी पट्टी माधोपुर बुजुर्ग जनपद कुशीनगर)।
- 4- 01 अदद एटीएम कार्ड पीएनबी बैंक।

अभियुक्त अजय भारती के पास से बरामद –

- 1- 135800 रुपये (2000 रुपये के 35 नोट, 500 रुपये के 128 नोट व 200 के 09 नोट) एचडीएफसी खलीलाबाद से की गयी ठगी से संबन्धित धन जिसको विभिन्न एटीएम व पेट्रोल पंपों से निकाला गया था।
- 2- 02 अदद मोबाइल फोन।
- 3- 03 अदद एटीएम कार्ड (अलग-अलग बैकों के विभिन्न व्यक्तियों के)।
- 4- 01 अदद पैन कार्ड (अजय भारती का)।
- 5- 02 अदद आधार कार्ड (अजय भारती के अलग- अलग जन्म तिथि के)।
- 6- 01 अदद बैंक जमा पर्ची (मकरध्वज के खाते में 05 हजार रुपये जमा की)।

पूंछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि हम लोग एक गिरोह बना कर ऑनलाइन ठगी कर पैंसा खाते में मगांकर अन्य बैंक खातों में ट्रांसफर कर देते हैं तथा उन पैंसों को एटीएम व अन्य माध्यमों से निकला कर आपस में बांट लेते हैं। हमारे इस गिरोह में हम लोगों के अलावां गिरोह का मुखिया 1- शिव नरायण पुत्र वृक्षा निवासी मुकुंदपुर जनपद कुशीनगर जो टेलीफोन के माध्यम से पैंसे ट्रांसफर करने हेतु कॉल करता है उसी ने दिनांक 12.08.2021 को एचडीएफसी खलीलाबाद के बैंक मैनेजर को फ्रॉड कॉल करके 9,80,080 रुपये हमारे गिरोह के सदस्य 2- सरोज कुमार दास निवासी वार्ड नंबर 04 गडौल जिला दरभंगा बिहार के खाते में मंगवाया था तथा उसी धन में से 3,84,000 रुपये हमारे गिरोह के सदस्य 3- रमेश पुत्र गिरधारी निवासी बनवरिया जनपद कुशीनगर के खाते में ट्रांसफर किया था इनके अलावा गिरोह के अन्य सदस्यों में

4-सुमित शर्मा पुत्र अशोक शर्मा निवासी लक्षवार थाना धाने जिला गोपालगंज बिहार। 5-सलाहुद्दीन अंसारी पुत्र अज्ञात निवासी रामकोला चट्टी थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर।







6-लक्ष्मण निवासी संतपुर थाना मांझागढ़ जिला गोपालगंज बिहार।

7-मकरध्वज निवासी संतपुर थाना मांझागढ़ जिला गोपालगंज बिहार।

8-मिन्टूराम पुत्र लखीचन्द्र राम निवासी संतपुर थाना मांझागढ़ जिला गोपालगंज बिहार भी सिम्मिलित हैं। जो ऑनलाइन फ्रॉड में सिक्रय भूमिका निभाते हैं। दिनांक 12.08.2021 को एचडीएफसी बैंक में हुई ऑनलाइन ठगी में भी इनकी पूरी सहभागिता रही। एचडीएफसी से हुए फ्रॉड से प्राप्त धनराशि में से कुछ धनराशि अजय भारती, लक्ष्मण तथा मकरध्वज के खाते में भी ट्रांसफर की गयी है।

उक्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी से थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पजीकृत मु0अ0सं0 582 / 21 धारा 419/420 भा0द0वि0 का सफल अनावरण हुआ है । गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास अन्य जनपदों से मंगवाया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद श्री अनिल कुमार, प्रभारी निरीक्षक सर्विलांस श्री रिवन्द्र कुमार गौतम, प्रभारी निरीक्षक एसओजी श्री श्रीप्रकाश यादव, प्रभारी स्वाट उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह, उ0नि0 श्री विजय बहादुर यादव थाना कोतवाली खलीलाबाद, कां0 अभिषेक सिंह, कां0 मनोज कुशवाहा, कां0 मनीष कुमार गुप्ता, कां0 अभय उपाध्याय, कां0 अमरजीत मौर्य, कां0 शुभम कुमार, कां0 नितीश कुमार, आरक्षी चालक कां0 बीरबहादुर।







जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनॉक 30-08-2021

आज दिनांक 30.08.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौरनुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य —

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा दिबश के दौरान 02 वारण्टी नाम पता 1- इन्द्रभान 2- इन्द्रीश पुत्रगण अल्गू निवासी बखौली खुर्द थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीम- उ०नि० श्री अमरनाथ यादव, उ०नि० श्री पवन कुमार शुक्ल, का० मोहन, का० धर्मेन्द्र।

<mark>शान्ति भंग (151/107/1</mark>16 सीआरपीसी) मे<mark> 18 अभियुक्त गिरफ्तार</mark>

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना मह्ली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना बेलहर पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।







पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1484 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1484 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत सिरसी से इवेन्ट संख्या 14662 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में एक व्यक्ति के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 05 मिनट में पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति नाम पता गिरजेश ग्राम सिरसी को जिरए एम्बुलेंस 108 से प्रा0 स्वा0 केन्द्र मलौली भेजवाया गया तथा दुर्घटना के संबन्ध में थाना धनघटा को सूचित किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पलात भेजवाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई। पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 जितेन्द्र यादव, मु0आ0 नरिसंह यादव, हो0चा0 संजय चौधरी।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 62 वाहनों से 50,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया

आज दिनांक 29.08.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 62 वाहनों से 50,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

